न्यायालय शुभदा गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिल्हा, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

निर्णय दिनांक 05/01/2023

आपराधिक प्रकरण क्रमांक – 756/2022

सी.एन.आर.नं. – CGBI06-000805-2022

प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रं. 252/2022, आरक्षी केन्द्र चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

FORM - D

COMPLAINANT	छ.ग. शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र चकरभाठा जिला बिलासपुर (छ.ग.)
REPRESENTED BY	ए.डी.पी.ओ.
ACCUSED	1. अजय ध्रुव आ. स्व. मनहरण ध्रुव आयु 34 वर्ष 2. विजय कुमार आ. स्व. मनहरण ध्रुव आयु 36 वर्ष दोनो निवासी रहंगी थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर 3. राजेश्वर आ. सेवकरण राजपूत आयु 34 वर्ष निवासी उमरिया थाना बिल्हा जिला बिलासपुर
REPRESENTED BY	श्री यमुना वर्मा अधिवक्ता

FORM - E

Date of Offence	30.07.2022 से 31.07.2022
Date of FIR	31.07.2022
Date of Charge Sheet	12.10.2022
Date of Framing of Charge	04.11.2022
Date of Commencement of Evidence	17.11.2022
Date of which Judgement is reserved	—
Date of Judgement	05.01.2023
Date of sentencing Order, if any	—

<u>Accused Details</u>

Rank of Accused	Name of the Accused	Date of Arrest	Date of release on Bail	Offence Charged with	Whether acquitted of convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C
1.	अजय कुमार ध्रुव	14.08.2022	—	457/34, 380, 34 भा.दं.सं.	acquitted	—	—
2.	विजय कुमार ध्रुव	14.08.2022	—				
3.	राजेश्वर राजपूत	14.08.2022	—				

FORM - F

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgement	1
2	Appearance of Advocate	1
3	Charge	3
4	Admitted Facts	3
5	Prosecution Story	3
6	------------	-
7	------------	-
8	Reasons and findings	09-10
9	Sentence	-
10	Period of Detention & Set-Off	-
11	Disposal of Property	10
12	Order of Compensation	-
13	Certificate under section 428 Cr.P.C	11
14	Warrant of Commitment on a sectence (imprisonment or Fine)	-
15	Copy of Judgement	-

1/ आरोपीगण अजय ध्रुव, राजेश्वर राजपूत तथा विजय ध्रुव के विरूद्ध धारा 457/34, 380/34 भारतीय दंड संहिता के अधीन आरोप है कि उन्होने दिनांक 30.07.2022 से 31.07.2022 को समय रात्रि 22:30 बजे से प्रातः 06:30 बजे के मध्य जिला बिलासपुर आरक्षी केंद्र चकरभाठा क्षेत्रांतर्गत स्थान क्वाटर नंबर जी–11/4 हाईकोर्ट आवासीय परिसर रहंगी रोड़ में प्रार्थी विक्रम सिंह चौहान के मकान जो कि मानव निवास के लिए उपयोग में आता है, में चोरी जो कि कारावास से दंडनीय अपराध है को कारित करने के लिए अन्य सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में घर में प्रवेश कर रात्रौ गृहभेदन किया तथा उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी के घर से उसके आधिपत्य से सोने का हार, चेन, टॉप्स, चांदी के हाथ फूल,चांदी की पाजेब तीन जोड़, चांदी का चूड़ा, एवं नगदी रकम 12,000/– रूपये कुल 3,50,000/–रूपये की चोरी की।

2/ प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य कुछ नही है।

3/ अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी विक्रम सिंह घटना दिनांक 30.01.2022 को खाना खाकर सहपरिवार सो गया था। अगली सुबह उठकर उसकी पत्नी नमिता ने उठकर देखा तो घर का सारा सामान अस्त व्यस्त था अलमारी खुली थी पीछे दरवाजा खुला पड़ा था। कोई अज्ञात व्यक्ति पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर अलमारी का लॉक तोड़कर सोने व चांदी के जेवरात व नगदी की चोरी कर ले गया था। प्रार्थी की सूचना पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना चकरभाठा के अपराध क्रमांक 252/22 अंतर्गत धारा 457, 380 भादसं में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी।

4/ विवेचना के दौरान घटनास्थल का नजरी नक्शा, अभियुक्तगण के कथन का मेमोरेण्डम, जप्ती पत्रक, गिरफ्तारी पत्रक, गिरफ्तारी की सूचना तैयार कर गवाहों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध कर संपूर्ण विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

5/ आरोपीगण ने आरोपित अपराध अस्वीकार किया है। धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन परीक्षण में आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होने तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया है एवं बचाव में कोई साक्ष्य नहीं कराया जाना व्यक्त किया है।

6/ प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिंदु यह है कि –

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 30.07.2022 से 31.07.2022 को समय रात्रि 22:30 बजे से प्रातः 06:30 बजे के मध्य जिला बिलासपुर आरक्षी केंद्र चकरभाठा क्षेत्रांतर्गत स्थान क्वाटर नंबर जी–11/4 हाईकोर्ट आवासीय परिसर रहंगी रोड़ में प्रार्थी विक्रम सिंह चौहान के मकान जो कि मानव निवास के लिए उपयोग में आता है, में चोरी जो कि कारावास से दंडनीय अपराध है को कारित करने के लिए अन्य सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में घर में प्रवेश कर रात्रौ गृहभेदन किया?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ चोरी करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी के घर से उसके आधिपत्य से सोने का हार, चेन, टॉप्स,

चांदी के हाथ फूल,चांदी की पाजेब तीन जोड़, चांदी का चूड़ा, एवं नगदी रकम 12,000/– रूपये कुल 3,50,000/–रूपये की चोरी की?

7/ अभियोजन की ओर से प्रार्थी विक्रम सिंह चौहान (अ.सा.1), नमिता सिंह चौहान (अ.सा.2), ओमप्रकाश भगत (अ.सा.3), मनोज यादव (अ.सा.4), प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह (अ.सा.5), तथा उपनिरीक्षक जे.एस.ठाकुर (अ.सा.6) का परीक्षण कराया गया है।

विचारणीय बिंदु 1 एवं 2 का सकारण निष्कर्ष

8/ प्रार्थी विक्रम सिंह चौहान (अ.सा.–1) ने आरोपीगण अजय कुमार ध्रुव एवं राजेश्वर कुमार को पहचनाते हुए कथन किया है कि दोनों उनकी हाईकोर्ट कालोनी जी एवं एफ में गार्ड का कार्य करते थे। घटना दिनांक को आरोपी राजेश्वर कुमार सुबह की ड्यूटी पर था एवं आरोपी अजय कुमार ध्रुव की ड्यूटी रात में लगी थी किंतु वह रात्रि में ड्यूटी पर नही आया था। उसने सुना था कि आरोपी विजय कुमार एवं अजय कुमार भाई हैं। घटना दिनांक 30.7.2022 की रात्रि के लगभग 10:30 बजे वे खाना खाकर क्वाटर नंबर जी 11/4 हाईकोर्ट कालोनी में सो गये थे। सुबह लगभग 6:30 से 7:00 बजे पत्नी नमिता सिंह उठी और देखा कि कमरे का सामान इधर उधार फैला हुआ है, अलमारी खुली हुई है फिर उसने उसे उठाया, उसने देखा कि अलमारी खुली थी तथा सामान इधर उधर फैला था। उसने अलमारी के लॉकर में देखा तो उसके अंदर रखा सोने का हार, सोने की चैन, सोने का टॉप्स, चांदी की पायल, पायजेब, हाथ पोछ, करधन, चूड़ा लगभग 3,50,000/–रूपये एवं नगद रकम 12,000/–रूपये को कोई चोर पीछे बाउंड्री दीवाल को कूदकर, खिड़की

की सिटकीनी तोड़कर घर के पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसकर चोरी कर ले गये थे। चोरी करने वाले व्यक्तियों के द्वारा विंडो कूलर में कुछ नशीला/बेहोश करने वाला पदार्थ डाला था जिसके कारण वे लोग रात्रि में उठे नहीं थे।

9/ इसी साक्षी का कथन है कि उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चकरभाठा में लिखायी थी एवं उसके बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी0–1 एवं नजरी नक्शा प्रपी0–2 पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी तथा उसने चोरी करने वाले का कोई हुलिया भी नही बताया था तथा पूर्व में आरोपीगण के संबंध में कभी कोई शिकायत नही रही है तथा वह नोट के सिरीयल नंबर नही बता सकता। साक्षी ने स्वीकार किया है कि जो जेवरात चोरी हुए थे उसकी कोई रसीद भी नही है।

10/ नमिता सिंह चौहान (अ.सा.–2) ने भी आरोपीगण अजय कुमार ध्रुव एवं राजेश्वर कुमार को जानते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक को आरोपी राजेश्वर कुमार सुबह की ड्यूटी पर थे एवं अजय कुमार ध्रुव की ड्यूटी रात में लगी थी किंतु वह रात में ड्यूटी पर नही आया था। घटना दिनांक 30.7.2022 की रात्रि वे लोग रात के लगभग 10:30 बजे खाना खाकर क्वाटर नंबर जी 11/4 हाईकोर्ट कालोनी में सो गये थे। सबुह लगभग 6:30 बजे वह उठी और देखा कि कमरे का सामान इधर उधर फैला हुआ है, अलमारी खुली हुई है एवं अलमारी का लॉकर टूटा हुआ है। तब उसने अपने पति विक्रम सिंह चौहान को उठाया। उन लोगों ने अलमारी के लॉकर में देखा तो उसके अंदर रखा सोने का हार, सोने की चैन, सोने का टॉप्स, चांदी की पायल, पायजेब, हाथ पोछ, करधन, चुड़ा लगभग कीमती

4,00,000/— रूपये एवं नगदी रकम 12,000/— रूपये को कोई चोर पीछे बाउंड्री दीवाल को कूंदकर, खिड़की की सिटकीनी तोड़कर घर के पीछे का दरवाजा खोलकर अंदर घुसकर चोरी कर ले गये थे। वे लोग घटना रात्रि को बेहोश जैसे हो गये थे, सुबह उठे तो कुछ अजीब सी महक आ रही थी। उसके पति ने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चकरभाठा में लिखायी थी। पुलिस ने घटना के बारे में पूछा था तथा नजरी नक्शा प्रपी0—2 पर उसके हस्ताक्षर है। इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि पूर्व में आरोपीगण के संबंध में कभी कोई शिकायत नही रही है। वह चोरी हुए नगदी नोट का सीरियल नंबर व कितने रूपये के कितने कितने नोट थे नही बता सकती ना ही उसके पास जेवरातों की रसीद है क्योंकि वह उन्हें 2004 में मिली थी।

11/ ओमप्रकाश भगत (अ.सा.3) तथा मनोज कुमार यादव (अ.सा.4) ने भी आरोपीगण अजय ध्रुव एवं विजय ध्रुव को गांव का होने के कारण पहचानते हुए प्रकरण में संलग्न मेमोरण्डम कथन प्रपी0—3 से 5, जप्ती पत्रक प्रपी0—6 से 8 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रपी0—9 से 11 पर अपने अपने हस्ताक्षर को स्वीकार करते हुए उनके समक्ष आरोपीगण के मेमोरेंडम कथन लिए जाने व उसके आधार पर जप्ती की कार्यवाही से इंकार किया है। साक्षीगण ने कथन किया है कि वे एक वर्ष पूर्व थाना चकरभाठा के पुलिस वालों के कहने पर थाने में पड़े कबाड़ के सामानो को किनारे करने गए थे तब उक्त हस्ताक्षर किए थे। पक्षद्रोही घोषित करने पर साक्षीगण ने उनके समक्ष आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर उनके कथन के आधार पर आरोपी विजय से सात हजार रूपय, स्टील का पेचकस, आरोपी अजय से पच्चीस हजार रूपये, पुराना चिलम व गांजा पीने के कपड़े का टुकड़ा व आरोपी राजेश्वर से

19,000 ⁄ –रूपये को जप्त कर गिरफ्तार किए जाने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षा में साक्षीगण ने स्वीकार किया है कि उन्होने दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर किए थे।

12 ⁄ प्रधान आरक्षक प्रभाकर सिंह (अ.सा. 5) का कथन है कि वह माह जुलाई 2022 में आरक्षी केन्द्र चकरभाठा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 31.7.2022 को उसके द्वारा विक्रम सिंह की मौखिक सूचना पर थाना चकरभाठा के अपराध क्रमांक 252 ⁄ 2022 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध 3,62,000 ⁄ – रूपये के चोरी के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी0–1 लेखबद्ध की थी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने प्रारंभिक जांच किए बिना रिपोर्ट दर्ज की थी तथा प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराते समय किसी पर कोई संदेह व्यक्त नही किया था।

13 ⁄ उप निरीक्षक जे.एस. ठाकुर (अ.सा.–6) का कथन है कि वह माह जुलाई 2022 में आरक्षी केन्द्र चकरभाठा में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे। थाने के अपराध क्रमांक 252 ⁄ 2022 अंतर्गत धारा 457, 380 भा.द.सं. की केस डायरी अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध 3,62,000 रूपये मूल्य के सोने चांदी के जेवर एवं नगदी रकम की चोरी के संबंध में अग्रिम विवेचना हेतु उसे प्राप्त हुई थी। संबंधित प्रकरण में उसके द्वारा दिनांक 1.8.2022 को प्रार्थी विक्रम सिंह की निशानदेही पर निरीक्षण कर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी0–2 तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर है। मुखबीर से सूचना के आधार पर आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर गवाह मनोज एवं ओमप्रकाश के समक्ष पूछताछ कर कथन के मेमोरण्डम प्रपी0–3, 4 व 5 लेखबद्ध किये है जिस पर उसके एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् उपरोक्त

मेमोरण्डम कथन के आधार पर दिनांक 14.8.2022 को थाना चकरभाठा में आरोपी विजय ध्रुव के पेश करने पर 500–500 के 14 नोट कुल 7000 रूपये और एक नग स्टील का पेचकश जिसमें हरे रंग का प्लास्टिक का मूठ लगा हुआ जप्त किया था तथा आरोपी अजय से 500–500 के 50 नोट कुल 25,000 रूपये एवं एक काले रंग का पुराना गांजा पीने का चिलम और एक हरे रंग का कपड़े का टुकड़ा जिससे गांजा पिया जाता है, को जप्त किया था।

14/ इसी साक्षी का कथन है कि आरोपी राजेश्वर से 500–500 रूपये के 38 कुल 19,000 रूपये को जप्त किये थे, जप्ती पत्रक प्रपी0–6, 7 एवं 8 पर उसके एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर है। उसने आरोपीगण को गवाह ओमप्रकाश और मनोज के समक्ष गिरफ्तारी पत्रक प्रपी0–9, 10 व 11 के अनुसार गिरफ्तार किया था जिस पर उसके एवं आरोपीगण के हस्ताक्षर है। आरोपी अजय और विजय की गिरफ्तारी की सूचना संबंधी दुर्गा ध्रुव को और आरोपी राजेश्वर की गिरफ्तारी की सूचना लखन राजपूत को प्रपी0–12 व 13 के अनुसार दी थी जिस पर उसके एवं सूचना प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर है। उसने गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किए थे। प्रतिपरीक्षा में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने मेमोरेंडम साक्षियों को कार्यवाही के लिए कोई नोटिस नही दिया था। उसके द्वारा जप्ती की कार्यवाही थाने में की गई थी। अभियुक्तगण से जप्त रकम चोरी गई रकम से भिन्न है परंतु साक्षी ने इंकार किया है कि उसने प्रकरण में निष्पक्ष विवेचना नही की है।

15/ प्रकरण में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा प्रार्थी एवं उनकी पत्नी ने आरोपीगण को कॉलोनी मे ही गार्ड का काम करना बताया है। विवेचक साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रार्थी ने किसी पर भी

संदेह होना व्यक्त नही किया था तथा आरोपीगण से संदेह के आधार पर ही पूछताछ की गई थी। प्रकरण में मेमोरेंडम व जप्ती साक्षीगण ने आरोपीगण को पहचानते हुए इंकार करते हुए मात्र दस्तावेजों पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर करना बताया है तथा उन्होने उनके समक्ष आरोपीगण के कथन लिए जाकर उसके आधार पर राशि व अन्य सामानों को आरोपीगण से जप्त किए जाने से इंकार किया है। वहीं कार्यवाही में शामिल होने बाबत कोई नोटिस साक्षीगण को नही दिया गया है कि क्या कार्यवाही, कहां और कब की जानी है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चोरीशुदा रकम में कितने रूपये के कितने नोट या करेंसी थी उसका उल्लेख नही किया है ना ही चोरीशुदा जेवरातो के संबंध में किसी प्रकार की सूची एवं बिल पेश किया है। इस प्रकार साक्षीगण द्वारा विवेचकगण द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन नही किया गया है। इस प्रकार आरोपीगण के कथन के मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपीगण से जप्ती पत्रक में उल्लेखित सामानों को जप्त किया जाना प्रमाणित नही होता है।

16/ विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है तथा संदेह की स्थिति में उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए वहीं संदेह कभी भी सबूत का स्थान नही ले सकता। अतः उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण से **आरोपीगण अजय ध्रुव, विजय ध्रुव तथा राजेश्वर राजपूत** को उन पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 457/34, 380/34 **भारतीय दंड संहिता** के अपराध से **दोषमुक्त** कर स्वतंत्र किया जाता है।

17/ प्रकरण में एक अन्य आरोपी **सनत यादव** के फरार होने से जप्तशुदा संपत्ति के व्ययन संबंधी कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

18/ आरोपीगण दिनांक 14.08.2022 से आज दिनांक तक न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। अतः उनकी अभिरक्षा के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण पत्र पृथक से बनाया जावे।

19/ आरोपीगण द्वारा निष्पादित बंधपत्र अंतर्गत धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रवृत्त रहेगा।

तद्नुसार निर्णित।

दिनांक – 05/01/2023 **सही/–**

स्थान – बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

(शुभदा गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

न्यायालय शुभदा गोयल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)

आरोपी की अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का विवरण

(अंर्तगत धारा 428 दण्ड प्रकिया संहिता के तहत)

क.	आरोपी का नाम	गिरफतारी दिनांक /रिमांड दिनांक	जमानत दिनांक	पुलिस अभिरक्षा	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि
1.	अजय कुमार ध्रुव	14.08.2022		–	
2.	विजय कुमार ध्रुव	14.08.2022			वर्तमान तक
3.	राजेश्वर राजपूत	14.08.2022			

सही/–

(शुभदा गोयल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बिल्हा जिला बिलासपुर (छ.ग.)